कार्यालय – उप विकास आयुक्त -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू

(मनरेगा कोषांग)

Phone No. 06562-224433 E-mail - ddc-pal@nic.in

अतिअल्पकालीन निविदा

मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 714 दिनांक 25.06.2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधा क्रय करने हेतु निविदा प्रकाशित की गयी थी। उक्त आलोक में समर्पित निविदा में नीम्बू पौधा के स्टॉक वाले निविदादाता उपस्थित नहीं हुए जिसके क्रम में जिला क्रय समिति द्वारा अतिअल्पकालीन निविदा करने का निर्णय लिया गया। अतएव नीबू के पौधों की गुणवत्तापूर्ण खरीदारी हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य द्वारा कुल 04 नर्सरी को Empanelled किया गया है। उक्त आलोक में पलामू जिला में 1000 एकड़ जमीन में बागवानी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु फलदार पौधों की लक्ष्य निर्धारित है। राज्य द्वारा Empanelled नीम्बू स्टॉक वाले कुल 04 नर्सरी की विवरणी निम्नवत है :–

Sl. No.	Name of the Nursery/Esta Blishment	Address and Location of Nursery	Correspondence Address	E-Mail/ Contact No.
1	2	3	4	5
1	Aditiya High Tech Nursery	Vill-Tati, PO- Kuru, Distt-Lohardaga, Jharkhand, 835213	Vill-Tati, PO- Kuru, Distt-Lohardaga, Jharkhand, 835213	tarunshadeo2003@gamil.com 9470357598 7004149204
2	Phal Udyog Nursery	Phal Udyog Nursery, Birla sanatorium, Near Sarla-Birla Public School, Mahilong, Ranchi.	Phal Udyog Nursery, Birla sanatorium, Near Sarla-Birla Public School, Mahilong, Ranchi.	phaludyognursery@gmail.com 9431360542 6207106199
3	Ashima Nursery	Vill+PO - Sukdebpur, PS-Bishnupur, Distt- South 24 Pgs (WB) 743503	Ashima Nursery, Vill+PO-Sukdebpur, PS - Bishnupur, Distt- South 24 pgs (WB) 743503	ashimanursery@gmail.com/abhijitkhan1980@gmail.com 7003926861
4	Raj Mahal Nursery	Vill+PO - Purbi Narayanpur, CI No. IPS - Rajmahal, Distt-Sahibganj,Jharkhand	Vill+PO - Purbi Narayanpur, CI No. IPS - Rajmahal, Distt-Sahibganj,Jharkhand	roy.goutam1409@gmail.com 8873482695 790884472 9382974617

अतः विभागीय पत्र के आलोक में उपरोक्त नीम्बू स्टॉक वाले नर्सरी से निम्न शर्त्तो के आधार पर नीबू के पौधा (कागजी एवं साई शर्वती) क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :–

गुणवत्तायुक्त पौधा आपूर्ति हेतु निम्न मापदंड अनिवार्य है :–

Grafted/Layered नीबू पौधा :–

1. पौधा सिर्फ कागजी एवं साई शर्वती प्रजाति का ही हो।
2. पौधे कलमी या Air Layered हो।
3. पौधों की लम्बाई 2 फीट से अधिक व 4 फीट के बीच हो।
4. पौधों में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ Flushes निकला हो।
5. पौधे का उम्र कम से कम 01 वर्ष से अधिक हो।
6. पोधों के थैला काला polythene का हो वे थैला (Black polythene bag) का आकार 6"x7" से 9"x11" का होना चाहिए।

निविदा डालने हेतु शर्त्ते :–

1. निविदा दिनांक 15.07.2021 से 22.07.2021 तक दोपहर 12:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय अवधि में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू में प्राप्त किया जाएगा एवं निविदा दिनांक 22.07.2021 को अपराह्न 02:00 बजे जिला क्रय समिति द्वारा निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।
2. निविदादाता को अग्रधन के रूप में 15000.00 (पन्द्रह हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, पलामू के नाम से जमा करना होगा।
3. निविदादाता को गत दो वर्ष का Income Tax Return का प्रमाण, GST निबंधन का प्रमाण एवं काली सूची में दर्ज नहीं होने का Affidavit जमा करना होगा।
4. निविदादाता को निविदा खोलने के दिन पौधे का नमूना लाना अनिवार्य है।
5. प्रखण्ड/पंचायत द्वारा आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर सामग्रियों की आपूर्त्ति संबंधित प्रखण्ड के ग्राम पंचायत के कार्य स्थल पर करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा राज्य स्तर पर नर्सरियों के Empanelment के लिये प्रकाशित EOI के शर्त्त के कंडिका–28 में अंकित बिन्दु कि चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा मृत पौधा के क्षतिपूर्ति की भरपाई हेतु कुल आवश्यकता की संख्या के 5% अतिरिक्त पौधा निःशुल्क साथ में आपूर्ति की जायेगी।

6. प्रखण्ड/पंचायत द्वारा आपूर्त्ति आदेश के आलोक में पौधा आपूर्त्ति किया जायेगा।

7. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता यदि समय सीमा के अन्दर पौधों की आपूर्त्ति नहीं करते है अथवा आपूर्त्ति में गड़बड़ी करते है, तो निविदा रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि निर्धारित समयावधि में L1 आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा सामग्री की आपूर्त्ति नहीं की जाती है तो उस स्थिति में L1 दर पर ही किसी और आपूर्त्तिकर्त्ता जिन्होंने Tender Process में भाग लिया है, उनसे आपूर्त्ति लेने हेतु जिला प्रशासन स्वतंत्र होगा।

8. सशर्त निविदा स्वीकार की जाएगी एवं बिना कारण बताए निविदाओं को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/विभाग के सक्षम पदाधिकारी पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।

9. जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर अंतिम रूप से मान्य होगा।

ह०/–

उप विकास आयुक्त –सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू।

ज्ञापांक 524 /मनरेगा, दिनांक 14.07.2021

प्रतिलिपि :– मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रॉची के पत्रांक 714, रांची, दिनांक 25.06.2021 द्वारा सभी चयनित नर्सरियों को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त निर्धारित तिथि के अन्दर अपना मुहरबन्द निविदा गत दो वर्ष का Income Tax Return, GST निबंधन का प्रमाण, Black Listed नहीं होने का Affidavit के साथ वित्तीय बिड में पौधा का प्रजातिवार (Varietywise) दर के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि संबंधित सूचना को पलामू जिला के अधिकृत वेबसाईट www. palamu.nic.in पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि दैनिक सामाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

14/07

उप विकास आयुक्त –सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू।

D:All Letter Azad Hawan (2021)